### भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



# **LGD** Notification

# **Creation of New Village**

#### **Published By**

#### **Proposed By**

Name	Mohd.Salim Khan	Name	BORTDRLR
Designation	Deputy Registrar Land Record	Designation	Tehsildar
Mobile no.	9461429781	Mobile no.	9461429781
IP Address	164.100.145.30	IP Address	164.100.145.30
On date	28/05/2024	On date	27/05/2024

District Name	Ajmer
Sub District Name	Roopangarh
Village Name (In English)	Thaakanpura
Village Name (In Local language)	थाकणपुरा
Village Effective Date	02/09/2022
Village Status	Inhabitant
How to Village is Formed?	New Village Created by Existing Village.

#### **CONTRIBUTED VILLAGES LIST**

Village Code	Village Name	Coverage Type
91432	Roopangarh	PART

राजस्थान-सरकार राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

जयपुर, दिनांक : 11.10.2022

<sub>इमांक</sub> : 40 9(110)राज -1/2022

NM

-: अधिसूचना :--

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 16, में हेत प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कलक्टर अजमेर एवं राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त क्ताव/अनुशंषा के आधार पर राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि जिला अजमेर की इसील अजमेर के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-7 में केत मजरों/ढ़ाणियों को एतद्पश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया बेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कॉलम ब्या-9 के अनुसार होगा :-

जिला	ग्राम पंचायत	मूल रा	जस्व ग्राम व	का विवरण	नवीन राज	ख ग्राम व	का विवरण	दरी	मूल राजस्व ग्राम का
/ तहसील	पंचायत समिति	ग्राम का नाम	जन संख्या 2011	भौगोलिक क्षेत्रफल (है. मे)	नवीन ग्राम का नाम	जन संख्या 2011	भौगोलिक क्षेत्रफल (है. मे)	दूरी (कि. मी.)	शेष रहा क्षेत्रफल (है. में)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	सराधना				नदी प्रथम	1300	205.0675	3	
अजमेर /	/ अजमेर	सराधना	8584	2635.84	नदी द्वितीय	900	41.9325	5	2203.37
अजमेर	ग्रामीण				् डांग सराधना	600	185.47	2.5	

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों अलग-अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत मूल राजस्व ग्रामों / नवीन त्व ग्रामों की पृथक-पृथक जमाबन्दी, खसरा नम्बर एवं नक्शे / अभिलेखों के परिशोधन कार्य के जिला कलक्टर, अजमेर को अधिकृत किया जाकर कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार मूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से,

gillharme

(विश्व मोहन शर्मा) संयुक्त शासन सचिव

कलकटर (भू.अ.) अजमेर प्राप्ति ११९८ १९३१ ॥ १७२२

भीमें तिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--तितिप जिस्तिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान म प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान मुख साधव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार मुख सचिव, गाननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार ा प्रांध ताया. तिजी सचिव/विशिष्ट सहायक, समस्त मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान सरकार ते नजी मचिव, मख्य सचिव/समस्त अतिरिक्त मज्या सन्ति तिजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव A निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर » समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान n. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान <sup>11. तगरा</sup> ह संबंधित जिला कलक्टर जारी अधिसूचना की अनुपालना में उक्तानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करायें। 18. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग राजस्थान, जयपुर 🕅 आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर 1. निदेशक, जनगणना विभाग राजस्थान, 6-वी, झालाना डूंगरी, जयपुर 12 मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, जयपुर 13. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर 14 निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय राज0, जयपुर 15 निदेशक, मुद्रणालय एवं ले0खन सामग्री, जयपुर 16. महाडाकपाल राजस्थान, जयपुर 17. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन, सरदार पटेल मार्ग, जयपूर 18. राजस्व (ग्रुप-2/5/6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर

19. रक्षित पत्रावली ।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:--11. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर 02. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर 03. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर

- अ. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर
- 05. संचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

R

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ प्रेषित है:--

- 01. अवर सचिव, गृह मंत्रालय भारत सरकार, द्वितीय मंजिल सीएस डिविजन (M&G Sec.), मेजर ध्यानचन्द नेशनल स्टेडियम, इण्डिया गेट, नई दिल्ली-110002
- 02. निदेशक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, टेक्नोलॉजी भवन, महरौली मार्ग, नई दिल्ली-110016
- 03. सचिव, रक्षा/कृषि/ग्रामीण विकास/उद्योग/शिक्षा/वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
- 4. सचिव, रेल मंत्रालय, (रेलवे बोर्ड), TG-IV, रेल भवन, नई दिल्ली-110001
- 05. निदेशक, राजस्थान भू–स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ग्रेट आर्क भवन, सेक्टर-10, विद्याधरनगर, जयपुर-302039
- <sup>06.</sup> महासर्वेक्षक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, P.B. No. 37, हाथीयड़कला एस्टेट, देहरादून, उत्तराखण्ड
- 07. निदेशक, नॉर्दर्न प्रिंटिंग ग्रुप, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, पोस्ट बाक्स नम्बर 28, हाथीवड़कला एस्टेट, देहरादून, उत्तराखण्ड-248001
- 08. महानिदेशक, डाक विभाग, (प्लानिंग डिवीजन) सूचना एवं प्रौद्योगिकी, डाक भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली--110001

सहायक शासन सचिव

शजस्व (ग्रुप–1) विभाग, शासन सविवालय, जयपुर, राजस्थान। tनेतः dsl.rev@rajasthan.gov.in



राजस्थान–सरकार राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

<sub>इ: 40</sub> 9(110)राज -1 / 2022

जयपुर, दिनांक : 05.12.2022

--: अधिसूचना :--

गजस्थान भू-राजस्य अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या–15) की धारा 16, में प्रवधानों के अन्तर्गत जिला कलक्टर, अजमेर एवं राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त अनुशंघा के आधार पर राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि जिला अजमेर की त पीसांगन के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या–7 में मजरों/ढ़ाणियों को एतद्पश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया ज एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कॉलम

	ग्राम	मूल राज	तस्व ग्राम क	ग विवरण	नवीन राज	ास्व ग्राम व	ना विवरण		मूल
विता / वहसील 2	पंचायत / पंचायत समिति	ग्राम का नाम	जन संख्या 2011 अनुसार	भौगोलिक क्षेत्रफल (है. में)	नवीन ग्राम का नाम	जन संख्या 2011 अनुसार	भौगोलिक क्षेत्रफल (है. में)	दूरी (कि. मी.)	राजस्व ग्राम का शेष रहा क्षेत्रफल (है. में)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		रतनगढ़ रनोस	928	907.36	कास्यां	280	153.20	2.5	331.66
अजमेर	करनोस				ओड़ास	306	422.50	3	
गीतांगन	पीसांगन	करनोस	1813	490.74	किशनपुरा	384	78.26	3	412.48
		रुपनगर थोरिया	1222	622.48	रामगढ़	428	127.12	2	495.36

<sup>नबीन</sup> राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों <sup>IRTI-अ</sup>लग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत मूल राजस्व ग्रामों/नवीन <sup>IR ग्रामों</sup> की पृथक–पृथक जमाबन्दी, खसरा नम्बर एवं नक्शे/अभिलेखों के परिशोधन कार्य के <sup>IR ग्रामों</sup> की पृथक–पृथक जमाबन्दी, खसरा नम्बर एवं नक्शे/अभिलेखों के परिशोधन कार्य के <sup>IR ग्रामों</sup> की पृथक–पृथक जमाबन्दी, खसरा नम्बर एवं नक्शे/अभिलेखों के परिशोधन कार्य के <sup>IR ग्रामों</sup> की पृथक–पृथक जमाबन्दी, खसरा नम्बर एवं नक्शे/अभिलेखों के परिशोधन कार्य के <sup>IR ग्रामों</sup> की पृथक–पृथक जमाबन्दी, खसरा नम्बर एवं नक्शे/अभिलेखों के परिशोधन कार्य के <sup>IR ग्रामों</sup> की पृथक का अधिकृत किया जाकर कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार <sup>मुचित</sup> करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से,

alekane

(विश्व मोहन शमी) संयुक्त शासन सचिव

मि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-तिमिम सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान मुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोत्रय, राजस्थान <sup>11</sup> मुख</sup> सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार मुख सचिव/विशिष्ट सहायक समस्त मंग्री मिली सचिव/विशिष्ट सहायक, समस्त मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान सरकार मजा सचिव, मुख्य सचिव/समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव ह निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर 🖟 समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान N. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान ा. संबंधित जिला कलक्टर जारी अधिसूचना की अनुपालना में उक्तानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करावें। 🕅 आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग राजस्थान, जयपुर 10. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर 1. निदेशक, जनगणना विभाग राजस्थान, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर 12. मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, जयपुर 13. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर 14. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय राज0, जयपुर 15 निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर 16. महाडाकपाल राजस्थान, जयपूर 11. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर ॥ संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-2/5/6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर 19. रक्षित पत्रावली ।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:--

॥. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर

🛚 अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर

- 13. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
- и. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर
- 15. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ प्रेषित हैः-

<sup>11.</sup> अवर सचिव, गृह मंत्रालय भारत सरकार, द्वितीय मंजिल सीएस डिविजन (M&G Sec.), मेजर ध्यानचन्द नेशनल स्टेडियम, इण्डिया गेट, नई दिल्ली-110002

- 12. निदेशक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, टेक्नोलॉजी भवन, महरौली मार्ग, नई दिल्ली–110016 13 महिलाक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, टेक्नोलॉजी भवन, महरौली मार्ग, नई दिल्ली–110016
- <sup>13.</sup> संचिव, रक्षा/कृषि/ग्रामीण विकास/उद्योग/शिक्षा/वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

<sup>14.</sup> संचिव, रेल मंत्रालय, (रेलवे बोर्ड), TG-IV, रेल भवन, नई दिल्ली–110001

- ७. निदेशक, राजस्थान भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ग्रेट आर्क भवन, सेक्न-सेक्टर-10, विद्याधरनगर, जयपुर-302039
- <sup>06</sup>. महासर्वेक्षक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, P.B. No. 37, हाथीबड़कला एस्टेट, देहरादून, उत्तराखण्ड <sup>07</sup>. क्रिकेल, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, P.B. No. 37, हाथीबड़कला एस्टेट, देहरादून, उत्तराखण्ड
- <sup>17.</sup> निदेशक, नॉर्दर्न प्रिंटिंग ग्रुप, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, पोस्ट बाक्स नम्बर 28, हाथीबड़कला एस्टेट, देहरादून. उत्तराखण्ड-248001
- <sup>08. महानिदेशक</sup>. डाक विभाग, (प्लानिंग डिवीजन) सूचना एवं प्रौद्योगिकी, डाक भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली दिल्ली-110001 121

सहायक शासन सचिव



### राजस्थान-सरकार राजस्व (गुप-1) विभाग

हमांक : प. 9(31)राज--1/2022

# जयपुर, दिनांक : 17.04.2023

# --: अधिसूचना :--

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या--15) की धारा 16, में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कलक्टर, अजमेर एवं राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंभा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि जिला अजमेर की तहसील किशनगढ़ के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई. नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-7 में अंकित मजरों/ढ़ाणियों को एतद्पश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कॉलम संख्या-9 के अनुसार होगा :--

-	~	ग्राम	मूल राजस्व	ग्राम का	विवरण	नवीन रा	जस्व ग्राग	का विवरण		मूल राजस्व
н Н	जिला / तहसील	पंचायत / पंचायत समिति	ग्राम का संख्या क ग्राम का संख्या को गोलिक ग्राम से नाम (2011 के क्षेत्रफल नाम (2011 के (है0 में)) अनुसार) (है0 में) अनुसार)	राजस्व ग्राम का शेष क्षेत्रफल (है0 में)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9 .	10	11
1	अजमेर / किशनगढ़	र्डीडवाडा / किशनगढ़ (सिलोरा)	ৰ্জীভবাভা	2215	2029. 1970	कदमपुरा	460	273:1054	1	1756. 0916

नवीन राजस्व ग्राम के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्राम के अभिलेखों के अलग—अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत मूल राजस्व ग्राम /नवीन राजस्व ग्राम की पृथक-पृथक जमावन्दी, खसरा नम्बर एवं नक्शे/अभिलेखों के परिशोधन कार्य किये जाने हेतु जिला कलक्टर, अजमेर को अधिकृत किया जाकर कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से,

There

(विश्व मोहन शर्मा) विशिष्ट शासन सचिव

(al'al). : is

626 इतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-। प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान 1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान रारकार a. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक, समस्त मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान सरकार 14. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव es निबन्धक, राजस्व मण्डल राजरथान, अजमेर 06. समस्त समागीय आयुक्त, राजस्थान 1. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान 08. संबंधित जिला कलक्टर जारी अधिसूचना की अनुपालना में उक्तानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करावे। 09. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग राजस्थान, जयपुर 10. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर 11. निर्देशक, जनगणना विभाग राजस्थान, 6-बी, झालाना जुगरी, जयपुर 12. मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, जयपुर

13. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्राक विमाग, अजमेर

14. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय राज0, जयपुर

15. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर

16. महाडाकपाल राजस्थान, जयपुर

17. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर

18. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (गुप-2/5/6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर

19. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

सहायक शासन सचिव

#### प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

01. रजिस्ट्रार जनरत, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर

02. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर

03. सचिव, राजस्थान विधान समा, जयपुर

04. सचिव, लोकायुक्त राचिवालय, जयपुर

05. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

# प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ प्रेषित है-

01. अवर सचिव, गृह मंत्रालय भारत सरकार, द्वितीय मंजिरु, सीएस डिविजन (M&G See.), मेजर ध्यानचन्द नेशनल स्टेडियम, इण्डिया गेट, नई दिल्ली-110002

02. निदेशक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, टेक्नोलॉर्जी भवन, महरौली मार्ग, नई दिल्ली-110016

03. सचिव, रक्षा/कृषि/ग्रामीण विकास/उद्योग/शिक्षा/वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली

04. सचिव, रेल मंत्रालय, (रेलवे बोर्ड), TG-IV, रेल भवन, नई दिल्ली-110001

85. निदेशक, राजस्थान भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र भारतीय सर्वक्षण विभाग घेट आर्क भवन.

सेक्टर-10, विद्याधरनगर, जयपुर-302039

- %. महासर्वेक्षक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, P.B. No. 37, हाभीवड़कला एस्टेट, देहरादून, उताराखण्ड निदेशक, नॉर्दर्न प्रिटिंग ग्रुप, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, पोस्ट बाक्स नम्बर 28, हाधीवडकला एस्टेट,
- महानिदेशक, डाक विमाग, (प्तानिग डिवीजन) सूचना एवं ैद्योगिकी, डाक भवन लसद दिल्ली-110001

सहायक शासन सचिव

#### राजस्थान–सरकार राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

कगांकः प. 9(26)राज -1/2015

जयपुर, दिनांक : 30.09.2015

### -: अधिसूचना :--

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या--15) की धारा 16. के प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कलक्टर व राजस्व मण्डल से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंषा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि जिला अजमेर की तहसील टाटगढ़ के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या--6 में अंकित मजरों/ढाणियों को एतद्पश्चात राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कालम संख्या--8 के अनुसार होगा :-

क. जिला∕ सं. तहसील		मूल राजस्व ग्राम का नाम	जनसंख	तस्व ग्राम की व्या∕क्षेत्रफल स्टेयर में)	प्रस्तावित नवीन राजरव ग्राम का नाम	राजर जनसंख	वित नवीन व ग्राम की पा⁄ क्षेत्रफल टेयर में)	· 世 新 20	मूल राजस्य ग्राम का शेव रहा क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
	जन क्षेत्रफल संख्या		জন প্রতিয়া	सेन्नफल					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अजमेर/ टाटगढ	सातूखेडा	937	278.81	टीलाखेडा	450	159.55	3.0	119.26
2		पालडी	1210	452.31	आपातो का बाडिया	530	135.00	3.0	317.31

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग—अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की घारा 107 के अन्तर्गत मूल राजस्व ग्रामों/नवीन राजस्व ग्रामों की पृथक—पृथक जमाबन्दी, खसरा नम्बर एवं नक्शे/अभिलेखों के परिशोधन कार्य के लिये जिला कलक्टर, अजमेर को अधिकृत किया जाकर कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को सूचित करने हेतू निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से

141 संयुक्त शासन सचिव

00000g

- प्रतिलिपि निम्ननिरिवल को निदेशान्सार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेन् प्रेपित ह-
- अतिः गुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोत, राजस्थान, राजभवन जयपुर।
- 2 उप संधिव मा0 मुख्यमंत्री महो० राजस्थाम शरकारे।
- 3 निजी सचिव / विशिष्ट सहायक / समरत मजीगण / राज्यमंत्रीगण / संसदीय सचिव, राज0 सरकार।

निजी संग्रित, मुख्य संभिव/सम्पत अतिरितन मुख्य संग्रित/प्रमुख शासन संग्रित/शासन संग्रितगण,

- 5 निवन्धक राजस्त मण्डल राजस्थान, धलमेर ।
- ह समझ्ते समागीय आयुक्त, राजेरथान।
- समस्त जिला कलकार्स राजस्थान।
- 8 आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर,
- अयुक्त गामीण विकास एव प्रचायती राज विभाग जयपुर।
- निदेशक जनगणना विभाग राज्य 6--यी, झालाना दगरी, जयपुर।
- मुख्य मिर्वाचन अधिकारी, राजव जयपुरः
- 12 निदेशक जुलना एवं जनसम्पर्क निदेशालय राज0 जयपुर।

13 निदेशक मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी अक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हल्लाक्षरकर्ता को शीग्र भिजवाने बाबत। हार्ड व सोफट प्रति आपकी ईमेल आई हो-प्रभप.pressjaipur à gmail.com पर दिनांक को प्रेषित कर दी गई है।

- 14 सहाहाकपाल राज0 जयपुर।
- 15 महाध्यस्थक टेलीकम्युनिकेशन, मरदार प्रदेश मार्ग, जयपुर।
- 16 राजम्ब (युण-१/6) विमाग शासन संविदालग जयपुर।
- ग रहित पत्रावली :

Service service of the service of th

सहायक शारून सचिव

प्रतित्रिपि निम्न को निर्देशानुसार सूचनाथं प्रवित है-

- श्रीच्हार, जनरत मा० राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
- २ सचिव साजस्थान विधान समा जयपुरः
- ३ सचिव लोकायुक्त सचिवालय अयपुर।
- गणिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेत।
- अध्यक्ष एव प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युन प्रसारण निवन, विद्युन भवन, जयपुर ।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी निवेशानुसार सुधनाधं प्रेवित हे-

- ा निदेशक (सीएस-II), गृह मन्नालय, सीएस डिगिजन (M&G Sec.) NDCC-II विकिंडन, 5वीं मंजिल, जयासेक रोड, नद्द दिल्ली–1100011
- 2. हैस्क ऑफिस्सर (एसएमवी), दिझान और प्रोधोपिकी मन्त्रालय, विझान और प्रोद्योगिकी विभाग हेवलीलोजी भरान महर्ग्यली मार्ग नई दिल्ली–110016 ।
- 5 मांबद, कृत / कृत्रि / ग्रामीण विकास / लग्नोग / शिष्टग / वित्त मवालय, भारत संस्कृत मई 'वित्तो'।
- सवित ऐस मन्द्रालय (रलव बोर्ड) (६२४, रज सकर, नई दिल्ली–११०००)
- महा सटेक्षक भारतीय सर्वकण विभाग चोश्च वाक्स नम्बर 37. हायीबडकाला एस्टेट देवरादून 245001 (न्यान्याखण्ड)
- नित्राक राजस्थानं भू स्थानिक आकड़ा केन्द्र भाषतीय सर्वहाण विगाम ग्रेट आर्व भवन सेक्टर--ाट विराजसन्तर अवधुर - ३०४००४ (साल्ल)
- त मिदशक मोदेने छिन्दम पुत्र भारतीच संवैधना विभाग वास्ट बाक्स मम्बर 26, हार्थोषडकाला एस्टेट देसरादृण 248501 (उत्तराखाण्ड)
- महानिदशक, ज्ञाक विमाग, 'प्रानिग क्रिकेलन) सूचना एव प्रौद्योगिकी, आक भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001

Scanned with CamScanner

सहायिक शासन कांचेय

राजस्थान–सरकार

राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

कमांकः प. 9(26)राज -1/2015

जयपुर, दिनांक : 30.09.2015

#### –ः अधिसूचनाः–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या–15) की धारा 16, के प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कलक्टर व राजस्व मण्डल से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंपा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि जिला अजमेर की तहसील टाटगढ़ के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या–6 में अंकित मजरों/ढाणियों को एतद्पश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कालम संख्या–8 के अनुसार होगा :–

क. सं.	जिला/ तहसील	मूल राजस्य ग्राम का नाम	जनसंस	जस्व ग्राम की ब्या⁄क्षेत्रफल क्टेयर में)	प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम का नाम	राज जनसंख	ावित नवीन स्व ग्राम की व्या / क्षेत्रफल क्टेयर में)	दूरी कि. मी.	मूल राजस्व ग्राम का शेष रहा क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
			जन संख्या	क्षेत्रफल	1	जन संख्या	क्षेत्रफल	Ť	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अजमेर/ टाटगढ़	सातूखेडा	937	278.81	टीलाखेडा	450	159.55	3.0	119.26
2		पालडी	1210	452.31	आपातो का बाडिया	530	135.00	3.0	317.31

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग–अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत मूल राजस्व ग्रामों/नवीन राजस्व ग्रामों की पृथक–पृथक जमावन्दी, खसरा नम्बर एवं नक्शे/अभिलेखों के परिशोधन कार्य के लिये जिला कलक्टर, अजमेर को अधिकृत किया जाकर कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से,

संयुक्त शासन सचिव

कृ०प०उ०.....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को निर्देशानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:- $\mathbf{f}^{2}$ अति० मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महो०, राजस्थान, राजभवन जयपुर। ७५ राज्य, नाव नुख्यमत्रा नहाव, प्राणपत्रा मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव, राज0 सरकार। निजी सचिव/विशिष्ट सहायक/समस्त मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय प्राचिव (सामन ागला साधव/वासव्य सहायया/ प्रमुख मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण। निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण। 3 निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर । समस्त संमागीय आयुक्त, राजस्थान। चिमा सणमेर 5 समस्त जिला कलक्टर्स राजस्थान। आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर। आयुक्त, ग्रीमीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर। निर्देशक, जनगणना विभाग राज0, 6-वी, झालाना डूंगरी, जयपुर। 8 9. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज० जयपुर। 10. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय राज0, जयपुर। निदेशक, सूचना एव जनसम्पक लिदसालय राजव, जनउर, निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजन। हार्ह व सोफट प्रति आपकी हैकेन तर 10 11. निदेशक, मुद्रणालय एव लखन सामग्रा, जमपुर पा स्वत। हार्ड व सोफ्ट प्रति आपकी ईमेल आई हो. प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत। हार्ड व सोफ्ट प्रति आपकी ईमेल आई हो. 12. 13. govt.pressjaipur@gmail.com पर दिनांक महाडाकपाल, राज० जयपुर। महाप्रबन्धक, टेलीदाम्यूनिकेशन, सरदार गटेल मार्ग, जयपुर। 14 राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 15. 16. रक्षित पत्रावली। सहायक शासन संदिव 17. कार्यालय जिला कलक्टर (भू-अभिलेख), अजमेर जिला अजमेर कमांकः क.अ. / भू.अ. / संस्था / 15 / ५०७-२-६ दिनांक 18-1-16 प्रतिलिपी निम्नांकिंत को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:--भू–प्रबन्ध अधिकारी, 1:-अजमेर प्रभारी अधिकारी, 2:-राजस्व एवं सामान्य अनुभाग अजमेर उपखण्ड अधिकारी ब्यावर 3:-04-18:-तहसीलदार अजमेर / पुष्कर / पीसांगन / नसीराबाद / केकडी / सांवर / सरवाड / टाटोटी / भिनाय / मसूदा / विजयनगर / ब्यावर / किशनगढ / रूपनगढ / अंगई तहसीलदार टॉडगढ को प्रेषित कर लेख है कि आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में 19:-वर्णित खसरा नम्बर के अनुसार नवीन घोषित राजस्व ग्राम टीलाखेडा एव

आपातों का बाडिया का राजस्व अभिलेख एवं मानचित्र पृथक से तैयार <sup>का</sup> इस कार्यालय को एक माह की अवधि में अवगत करावें तथा साथ ही <sup>नवीन</sup> ग्राम की आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की एक प्रति भू–प्रबन्ध अधिकारी <sup>अजमें</sup> को उपलब्ध करावें।

> प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख अनुभा<sup>ग</sup> र्किलेक्ट्रेट, अजमेर

to

राजस्थान-सरकार राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

जयपुर, दिनांक : 01.01.2016

कमांकः प. ९(२६)राज -1/2015

#### –ः अधिसूचनाः–

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम. 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 16, के प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कलक्टर व राजस्व मण्डल से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंषा के अनुरूए राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि जिला अजमेर की तहसील सावर के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-6 में अंकित मजरों/ढाणियों को एतद्पश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कालम संख्या-8 के अनुसार होगा :-

/	क. सं.	जिला/ तहसील	मूल राजस्व ग्राम का नाम	जनसंर	जस्व ग्राम की व्या/ क्षेत्रफल क्टेयर में)	प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम का नाम	राज जनसं	गवित नवीन स्व ग्राम की ख्या / क्षेत्रफल क्टेयर में)	दूरी कि. मी. मे	मूल राजस्व ग्राम का शेष रहा क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
L	I I			जन रांख्या	क्षेत्रफल		जन संख्या	क्षेत्रफल		
•	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	अजमेर/ सावर	घटियाली	4099	3173.91	नाड़ी	957	1187.04	3.0	1986.87
	2		गोठडा	967	444.27	देवमण्ड	444	192.53	1.0	251.74

नवीन राजरव ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजरव ग्रामों के अभिलेखों के अलग–अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत मूल राजरव ग्रामों/नवीन राजरव ग्रामों की पृथक–पृथक जमाबन्दी, खसरा नम्वर एवं नक्शे/अभिलेखों के परिशोधन कार्य के लिये जिला कलक्टर, अजमेर को अधिकृत किया जाकर कार्य निष्पादन की

ने सूचना से राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है। आज्ञा से,

(दुर्गा जोशी)

(दुना जारा) संयुक्त शासन सचिव

कृ०प०उ०.....

भाषालय का प्रत (य.अ.) अजमेर 285 Rata 15-1-16 क्रमांक

1-16

		जी खे
स।	C -	भारत
		Scanned with CamScanner

प्रतिलिपि निम्नलिखित को निर्देशानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--अति० मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महो०, राजस्थान, राजभवन जयपुर।

1. उप सचिव, मा० मुख्यमंत्री महो०,राजस्थान सरकार।

निजी सचिव/विशिष्ट सहायक/समस्त मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव, राज० सरकार। 2.

3. \* निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण।

- 4. निबन्धक, राजरव मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
- 5.
- समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान। 6.
- समस्त जिला कलक्टर्स राजस्थान। 7.
- आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर। 8.
- आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर। 9.
- निर्देशक, जनगणना विभाग राज0, 6-वी, झालाना डूंगरी, जयपुर। 10.
- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज० जयपुर। 11.
- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय राज0, जयपुर। 12.
- निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 13. प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ भिजवाने वाबत। हार्ड व सोफ्ट प्रति आपकी ईमेल अहं क्षgovt.pressjaipur@gmail.com पर दिनांक 01-01-2016 को प्रेषित कर दी गई है।
- महाडाकपाल, राज० जयपुर। 14.
- महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर। 15.
- राजस्व (गुप-5/6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 16.
- रक्षित पत्रावली। 17.

सहायक शासन सबि

#### राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (भू अभिलेख)अजमेर, जिला–अजमेर

दिनांकः 12-1-16

क्रमांकः कअ/भूअ/संस्था/15/ 388 -406 प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

- 1. भू–प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर
- 2. प्रभारी अधिकारी,

राजस्व एवं सामान्य अनुभाग अजमेर

3. उपखण्ड अधिकारी केकडी

4-18 तहसीलदार

अजमेर/पुष्कर/पीसांगन/नसीराबाद/केकडी/सावर/सरवाड/टाटोटी/भिनाय/मसूदा विजयनगर / ब्यावर / किशनगढ / रूपनगढ / अराई

19. तहसीलदार सावर को प्रेषित कर लेख है कि आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में वर्णित खसरा न अनुसार नवीन घोषित राजस्व ग्राम नाडी एवं देवमण्ड का राजस्व अभिलेख एवं मानचित्र पृथद तैयार कर इस कार्यालय को एक माह में अवगत करावें साथ ही नवीन ग्राम की आप द्वारा 🎋 प्रस्ताव की एक प्रति भू-प्रबन्ध अधिकारी अजमेर को उपलब्ध करावें।

प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख अनुम कलेक्ट्रेट, अजमेर

all

50

राजस्थान–सरकार राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

कमांकः प. ९(२६)राज -1/२०१५

3.

hin

Isanus

जयपुर, दिनांक : 29.06.2017 तूचना :--

# —ः अधिसूचनाः —

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या–15) की धारा 16. के प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कलक्टर व राजस्व मण्डल से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंपा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि जिला अजमेर की तहसील केकड़ी के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या–6 में अंकित मजरों/ढाणियों को एतद्पश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कालम संख्या–8 के अनुसार होगा :–

छ. स.	जिला/ तहसील	मूल राजस्व ग्राम का नाम	की ज क्षे (है	जित्त्व ग्राम नसंख्या / त्रफल क्टेयर में)	प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम का नाम	राजस जनसंख	वित नवीन व ग्राम की या / क्षेत्रफल यर में)	दूरी कि. मी. में	मूल राजस्व ग्राम का शेष रहा
ा वि प्रांख्या 1 2 3 4	क्षेत्रफल		जन संख्या	क्षेत्रफल		क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)			
+	-	3	4	5	6	7	8	9	10
1					छोटा शाहपुरा	347	479.87	4.0	
	अजमेर/ केकडी	प्रान्हेडा	3920	4063.16	रणजीतपुरा	327	556.54	3.0	2681.92
3	474761				सवाईपुरा	287	344.83	3.0	

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग—अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत मूल राजस्व ग्रामों/नवीन राजस्व ग्रामों की पृथक—पृथक जमाबन्दी, खसरा नम्वर एवं नक्शे/अभिलेखों के परिशोधन कार्य के लिये जिला कलक्टर, अजमेर को अधिकृत किया जाकर कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से (सांवर मल द संयुक्त शासन राचिव

दिनांक 17712

कृपउ.....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को निर्देशानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-/2/ अति० मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महो०, राजस्थान, राजमवन जयपुर। उप सचिव, मा० मुख्यमंत्री महो०,राजस्थान सरकार। उप सचिव, मा० मुख्यमत्रा महाए, प्रस्तर मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/रांसदीय रागिव, राज0 राख्य निजी सचिव/विशिष्ट सहायक/समस्त मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/राम्यव, शायात, स्वि 1. ानजा सायव/ जिस्त स्विव/ समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शारान सचिव/ शारान 2. 3. 4. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर । समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान। 5. समस्त जिला कलक्टर्स राजस्थान। अजभेर 6. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर। आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर। 8. निर्देशक, जनगणना विभाग राज0, 6–बी, झालाना खूंगरी, जयपुर। 9. 10. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज० जयपुर। निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय राज0, जयपुर। निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजरथान राजपन्न के आगामी अंक हे 11. 12.

- प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हरताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने वावत। हार्ड व सोफ्ट प्री आपकी ईमेल आई डी- govt.pressjaipur@gmail.com पर दिनांक 29.06.2017 को 13. प्रेषित कर दी गई है।
- महाडाकपाल, राज० जयपुर। महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर। 14.
- राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 15.
- 16.
- रक्षित पत्रावली। 17.

7

राजस्थान सरकार

कार्यालय कलक्टर (भू–अभिलेख) अजमेर, जिला अजमेर (राज0) दिनांक 6/9/17

क्रमांकः कअ/भूअ/संस्था/17/6301-32 प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:--

- भू–प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर 1.
- 2–3 प्रभारी अधिकारी,
  - राजस्व/सामान्य अनुभाग अजमेर
- 4–15 उपखण्ड अधिकारी अजमेर/पुष्कर/पीसांग्न/नसीराबाद्/ब्यावर/टॉडगढ/मसूदा/केकडी/भिनाम/सर्<sup>वाड</sup> किशनगढ / रूप्रनगढ
- 16-31 तहसीलदार,

अजमेर / पुष्कर / पीसांगन / नसीराबाद / ब्यावर / टॉड्रगढ / मसूदा / बिजयनगर / केकडी सावर/भिनाय/सरवाड/टांटोटी/किशनगढ/अरांई/रूपनगढ

तहसीलदार केकडी को प्रेषित कर लेख है कि आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में वर्णित छन नम्बर के अनुसार नवीन घोषित राजस्व ग्राम छोटा शाहपुरा, रणजीतपुरा एवं सवाईपुरा 32. राजस्व अभिलेख एवं मानचित्र पृथक से तैयार कर इस कार्यालय को एक माह में 🦋 करावें साथ ही नवीन ग्रामों की आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की एक प्रति भू–प्रबन्ध अ<sup>हर्ड</sup> अजमेर को उपलब्ध करावे।

सहायक शासन संविव

राजरधान-सरकार राजरद (मुप-1) विभाग

<sub>क्रामेंक:</sub> प. १(२६)राजा −1 / २०१६

जयपुर, दिनांक : 11/12/12

## -: अधिशूचना :-

राजस्थान भू-राजस्य अधिनियम. 1956 (1956 का अधिनियम रांख्या--15) की घारा 16. के एकानी के अन्तर्गत जिला कलक्टर व राजस्व मण्डल से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंधा के अनुरूप राज्य हरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि जिला अजमेर की तहसील सरवाड़ के मूल राजस्व याम से लगती हुई. नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या--6 में अंकित मजरों/ढाणियों को एतद्पश्चात् इज़रूव याम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल इज़रूव याम की कुल देह में से कम होकर कालम संख्या--8 के अनुसार होगा :--

375	जिला / तहसील	মুল থালংব যাম জা নাম	जनसंख			परदायित नवीन प्रशावित नवीन राजस्व राजस्व ग्राम का प्राप्त की जनसंख्या/क्षेत्रफल (हेक्ट्रेमर मे)		दूरी कि.मी. मे	मूल पाजस्व याम का शेष रहा होजफल
		1	जम शरच्या	क्षेत्रफल		जन संख्या	दो त्रफल		(हेक्टेगर मे)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
,	अजमेर/ सरवाड	बोराडा	3642	3115	रामसिंहपुरा	441	316	4.5	2799

नवीन राजरच ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजरच ग्रामों के अभिलेखों के अलग-अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत मूल राजरच यामो/नवीन राजरच ग्रामों की पृथक--पृथक जमाबन्दी, खरारा नम्बर एवं नक्शे/अभिलेखों के परिशोधन कार्य के लिये जिला कलक्टर, अजमेर को अधिकृत किया जाकर कार्य निष्पादन की -<sup>कूंचना</sup> से राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से

(हरि मोहन) संयुक्त शासन सचिव

कृपच

इतिनिधि विभागितीयम को निर्देशानुसार मुख्यमं एवं आयर्थ्य कार्यवारी सनु देवित हे -र्थीक मुख्य साथिय पालमाहिम शाल्याचाम महोठ राजस्थान राजस्थान जयपुर। त्राद्व माठ मुख्यमंत्री भरीद राजस्थान संग्रकार । रत्ने सचिव / विशिष्ट सहायव / समस्त मज़ैसल / संजयक्रीलल / समर्थिव सविव संजव सरहार ; कती महिए मुख्य सहित / समान अतिहितन पुरुष महित / प्रमुख शासन सहित / रासन सहिताला। स्वयूत्राणः साम्राज्यः साम्राज्यस्यान् अप्राचेव । तवल क्रमाणीय आयुक्त याजस्थान्। शासन जिला कालकटची राजस्थान । 4 आयमा, चू-प्रदम्भा विभाग, पाजस्थान जयपुर। अग्रामेण ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर। क्राइंडल जनगणना विभाग शालक रूपी झारगमा कुगरी जयपुर । গদনা মিহামান প্রাটিকার্হী লাজেও জেয়পুর। किटेशन सुरामा एव जनसम्पर्क निदेशालय राजव, जयपुर। स्रोहेशतः मुहणालय एवं त्येखन सम्मयी जयपुर को राजस्थान राजपत्र वे आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 धरिए जिल्ल हरनाशरकनों को शीध मिजवाने बाबत। हाई व सोफट प्रति आपकी ईमेल आई हीgovt pressjaipur@gmail.com पर दिलांक 👖 12.2017 को देखिल कर दी गई है। शहाद्वाजयातः शाजाः जयपुर। वताप्रवचाकः देखीकच्युनिकंशनः सरदारं प्रदेशः सार्थः जयपुरः। X जनस्त (इ०. ५/४) विभाग, शासन मध्विवालय, जयपुर। शिक्ष प्रवासनी . सहायक शासन सचिव वतिस्तिवि विक्रम को मिर्देशानुसार सुचनार्थ देखित है -वीजवताच जनगरम् माठ राजमधाम् तम्ब न्यायालयः जोधपुरः/जयपुरः। मधिव राजस्थान विधान समा जयपुर। सचिव लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर। संधिय राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। . सराव रोजस्थान साथ संयो जायां जायां विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन जयपुर। राजस्थान सरकार कार्यालय कलक्टर (भू-अभिलेख) अजमेर, जिला-अजमेर दिनांक 01/01/2018 <sup>1012</sup> 88/98/सरमा/18/04-35 प्रतिर्वि निम्नाकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है- मू-प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर 7.2 जमारी अधिकारी, राजस्य/सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट, अजमेर 🖅 তদরণের অভিকার্থা, अजगेर/पुष्वन/पीसांगन/नसीराबाद/ब्यावर/टोंडगढ/मसुदा/केकढी/भिनाय/सरवाड विज्ञानगढ / कायनगढ <sup>6</sup> ः शासीलदार् अजमर / पुष्कर / पीस्तगन / नसीराबाद / व्यावर / टॉडगढ / मसूदा / बिजवनगर / केकडी / सावर मिनाव / सरवाह / टाटोटी / क्रिशनगढ / अराई / सपनगढ रासीलदार सरवाड़ को प्रेषित कर लेख है कि जाप हारा प्रस्तुत प्रस्ताव में वर्णित खसरा नम्बर र्व अनुसार नवीन शाबित राजरत याम शामसिहपुरा का राजरत अमिलेख एव मानचित्र पृथक से रेखर कर इस कार्यालय को एक माह में अवयंत करावे साथ ही मंत्रीन धाम की आप द्वारा प्रस्तुत अलाव की एक प्रति भू-प्रबन्ध अधिकारी आजमेर को उपलबा कराते। weat loganta मू-अमिलेल अनुमान -मुझ्लक्ट्रेट, अजमेर The state of the

### राजस्थान-सरकार राजस्व (गुप-1) विभाग

जयपुर, दिनांक : 14/03/20/8

क्रमांकः प. १(२६)राज -1/2015

ş

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजरव अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 16, हे प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कलकटर व राजरव मण्डल से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंपा के इनुरूप राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि जिला अजमेर की तहसील सावर, हेकडी, के मूल राजरव ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-6 में ब्रोकेत मजरों/ढाणियों को एतद्पश्चात् राजरव ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजरव ग्राम की कुल देह में से कम होकर कालम संख्या-8 के अनुसार होगा :-

क. सं.	जिला/ तहसील	मूल राजस्व ग्राम का नाम	मूल राजस्व ग्राम की जनसंख्या / क्षेत्रफल (हैक्टेयर भें)		प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम का नाम	प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम की जनसंख्या∕क्षेत्रफल (हैवटेयर में)		पूरी कि. भी. में	मूल राजस्य ग्राम का रोष रहा क्षेत्रफल (हंक्टेयर में)
			जन संख्या	क्षेत्रफल		जन संख्या	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अजमेर / सावर	आमली	1741	675.23	माताजी का खेडा (आगली खेडा)	975	354.30	1.5	320.93
2	अजमेर/ केकडी	पारा	3881	2655.09	गणेशपुरा	556	309.67	3.0	2345.42
3	अजमेर/ केकडी	मानखण्ड	1901	1630.89	रूपनिवास	768	534.02	1.5	1096.87

नवीन राजरव ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजरव ग्रामों के अभिलेखों के अलग-अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत मूल राजस्व ग्रामों/नवीन राजरव ग्रामों की पृथक-पृथक जमाबन्दी, खसरा नम्बर एवं <sup>नक्शे</sup>/अभिलेखों के परिशोधन कार्य के लिये जिला कलक्टर, अजमेर को अधिकृत किया जाकर कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से (हरि मोहन)

संयुक्त शासन सचिव

कृपउ

1

प्रतिलिपि निम्नलिखित को निर्देशानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1. अति० मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महो०, राजस्थान, राजभवन जयपुर।
- 2 उप सचिव, माठ मुख्यमंत्री महोठ,राजरथान सरकार।
- गेजी सचिव / विशिष्ट सहायक / समरत मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण / संसदीय सचिव, राज0 सरकार
  गेजी राजिय भाषा प्रति (समरत मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण / संसदीय सचिव, राज0 सरकार
  - निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण।
- निवन्धक, राजरच मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
- समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
- रागस्त जिला कलक्टर्स राजस्थान।
- आयुक्त, भू–प्रवन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 9 आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
- निदेशक, जनगणना विभाग राज0, 6–वी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
- 11. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज० जयपुर।
- 12. निवेशक, सचना एवं जनसम्पर्क निवेशालय राज0, जयपुर।
- 13. निवेशक, मुंद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत। हार्ड व सोफट प्रति आपकी ईमेल आई डी– govt.pressjaipur@gmail.com पर दिनांक \y.03.2018 का प्रेषित कर दी गई है।
- 14. गहाडाकपाल, राज0 जयपुर।
- 15. महाप्रवन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर।
- 16. राजस्य (ग्रुप-5/6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 17. रक्षित पत्रावली।
  - प्रतिलिपि निम्न को निर्देशानुसार सूचनार्थ प्रेषित है:--
- 1. रजिस्ट्रार, जनरल मा० राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
- सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
- अधिव, लोकायुवत सचिवालय, जयपुर।
- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- अध्यक्ष एवं प्रयन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

**द्वा**र्ट अनुभागाधिकां

अनुभागाधिकारं

प्रतिलिपि निम्न को भी निर्देशानुसार सूचनार्थ प्रेषित है:--

- अवर सचिव, गृह मंत्रालय भारत सरकार, द्वितिय मंजिल सीएस डिविजन (M&G Sec.). के ध्यानचन्द नेशनल स्टेडियम, इण्डिया गेट.नई दिल्ली - 110002
- डेरक ऑफिसर (एसएमपी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी कि टेक्नोलॉजी भवन, महरौली मार्ग, नई दिल्ली--110016
- सचिव, रक्षा / कृषि / ग्रामीण विकास / उद्योग / शिक्षा / वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
- 4. सचिव, रेल मंत्रालय, (रेलवे बोर्ड), TG-IV, रेल भवन, नई दिल्ली-110001
- महा सर्वेक्षक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, पोस्ट वाक्स नम्बर 37, हाथीवडकला एस्टेट, देहरादून 248001 (उत्तराखण्ड)।
- निदेशक, राजरथान भू–स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ग्रेट आर्क भवन, सेक्टर–10, विद्याधरनगर, जयपुर – 302039 (राज0)
- निदेशक, नॉर्दर्न प्रिटिंग ग्रुप, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, पोस्ट बाक्स नम्बर 28, हाथीबड़कला एस्टें-देहरादून 248001 (उत्तराखण्ड)।
- महानिदेशक, डाक विभाग, (प्लानिंग डिवीजन) सूचना एवं प्रौद्योगिकी, डाक भवन, संसद मार्ग सं दिल्ली 110001

अनुभागाचिका

# राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

<sub>जमांक : प0</sub> 9(2)राज -1/2022

# जयपुर, दिनांक : 02.09.2022

# --: अधिसूचना :--

राजस्थान भू--राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या--15) की धारा 16, के प्रवधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कलक्टर अजमेर एवं राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रान प्रस्ताव/अनुशंषा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि जिला अजमेर की तहसील रुपनगढ़ एवं केकड़ी के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम नंख्या-7 में अंकित मजरों/ढ़ाणियों को एतद्पश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभेलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कॉलम संख्या-9 के अनुसार होगा :-

H. M	जिला / तहसील	ग्राम पंचायत / पंघायत समिति	मूल राजस्व ग्राम का विवरण			नवीन राजस्व ग्राम का विवरण			दरी	मूल राजस्व
			ग्राम का नाम	जन संख्या 2011	भौगोलिक क्षेत्रफल (है. में)	नवीन ग्राम का नाम	जन संख्या 2011	भौगोलिक क्षेत्रफल (है. मे)	दूरी (कि. मी.)	ग्राम का शेष रहा क्षेत्रफल (है. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		करकेड़ी / किशनगढ़ रुपनगढ़	करकेड़ी	7055	2664.5 496	कनोदिया	350	520.0313	3	1131.9281
2	अजमेर / रुपनगढ़					दुतिणा	300	383.1036	2.5	
3						श्यामनगर	1200	629.4866	2	
4			कानगर	17505	3812.9	धाकणपुरा	650	270.5477	2.5	3128.3578
5		<b>किशनग</b> ढ़	रुपनगढ़		200	बेबलपुर	600	414.0145	2.5	
6	अजमेर / केकड़ी	बधेरा / केकड़ी	बघेरा	3749.91	7940	हरिरामपुरा	760	376.25	5	3373.66

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग–अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत मूल राजस्व ग्रामों/नवीन राजस्व ग्रामों की पृथक–पृथक जमाबन्दी, खसरा नम्बर एवं नक्शे/अभिलेखों के परिशोधन कार्य के लिये जिला कलक्टर, अजमेर को अधिकृत किया जाकर कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से, कार्यालय कत्र बटर (मृ.अ.) अज्यतेर Velane stidi unici... (विश्व मोहन शमी) संयुक्त शासन सचिव

Scanned with CamScanner

31.465. 19.412 KPM

भे निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--लाय । मुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान प्रमुख सचिव, माननीय मख्यमंत्री महोत्या ज्या प्रमुख साधन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान गुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार भाषनं सचिव/विशिष्ट सहायक/समस्त मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण राजस्थान सरकार तेजी सामिय, मुख्य सचिव / समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव वन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर हमस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान तमस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान वयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग राजस्थान, जयपुर अयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर भेदेशक, जनगणना विभाग राजस्थान, 6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर म्ब्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, जयपुर निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय राज0, जयपुर तिदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर महाडाकपाल राजस्थान, जयपुर महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर ग्रजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर : रक्षित पत्रावली।

men min

सहायक शासन सचिव

लेलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:--

🛚 रजिस्ट्रार, जनरल माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर

🗈 त्तचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर

🛚 सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर

🛚 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर

Office as

सहायक शासन सचिव

मोलिपि निम्न को भी निर्देशानुसार सूचनार्थ प्रेषित है:--

- 11. अवर सचिव, गृह मंत्रालय भारत सरकार, द्वितिय मंजिल सीएस डिविजन (M&G Sec.), मेजर ध्यानचन्द नेशनल स्टेडियम, इण्डिया गेट, नई दिल्ली–110002
- <sup>12</sup> निदेशक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, टेक्नोलॉजी भवन, महरौली मार्ग, नई दिल्ली–110016
- 10. संचिव, रक्षा / कृषि / ग्रामीण विकास / उद्योग / शिक्षा / वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
- 4. संचिव, रेल मंत्रालय, (रेलवे बोर्ड), TG-IV, रेल भवन, नई दिल्ली-110001
- <sup>15</sup> महासर्वेक्षक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, P.B. No. 37, हाथीबड़कला एस्टेट, देहरादून, उत्तराखण्ड
- <sup>16</sup> निदेशक, राजस्थान भू–रथानिक आंकड़ा केन्द्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ग्रेट आर्क भवन, सेक्टर–10, विद्याधरनगर, जयपर–302039
- <sup>17,</sup> निदेशक, नॉर्दर्न प्रिंटिंग ग्रुप, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, पोस्ट बाक्स नम्बर 28, हाथीबड़कला एस्टेट, <sup>देहरा</sup>दून, उत्तराखण्ड–248001
- भ महानिदेशक, डाक विभाग, (प्लानिंग डिवीजन) सूचना एवं प्रौद्योगिकी, डाक भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

सहायक शासन सचिव